50

मान. न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक – 2018 / निगरानी

निगरानी-3466/2018) देवास/भू.२५

1. कन्हैयालाल पिता नंदराम, जाति चमार
2. राधेश्याम पिता किशनलाल, जाति चमार
3. मानसिंह पिता किशनलाल, जाति चमार
4. किशोर पिता कन्हैयालाल, जाति चमार
5. रूकमाबाई विधवा बापू, जाति चमार

समस्त निवासीगण ग्राम रंधनखेड़ी, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.

— — **आवेदकगण**

प्राथी अभिभाषक श्री बी. एल. मालवर
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 14/5/18
अधीक्षक 14.5.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

482
14/5/18

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जि.देवास
2. म.प्र. शासन द्वारा नायब तहसीलदार तहसील टोंकखुर्द जिला देवास
3. बाबूलाल पिता गोपाल, जाति चमार
4. धूलजी पिता गोपाल, जाति चमार
5. जुगल पिता धुलजी, जाति चमार
6. नरबद पिता गोपाल, जाति चमार
7. सम्पतबाई पति अमरसिंह जाति चमार
8. गोवर्धन पिता नाथुसिंह, जाति चमार
9. जीवन पिता उमराव, जाति बागरी
10. विक्रम पिता भागीरथ जाति खाती
11. रामसिंह, लक्ष्मण पुत्रगण जगन्नाथ
12. जयराम पिता गोपाल जाति चमार
13. बद्रीलाल पिता जगन्नाथ जाति चमार
14. मनोहर पिता हीरालाल जाति चमार

3 से 14 नि. ग्रा. रंधनखेड़ी जि. देवास

आज दिनांक 22/5/18 को उज्जैन कैम्प प्राप्त 22/5/18

— — **अनावेदकगण**

माननीय योग्य अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला देवास के प्रकरण क्रमांक 0003 / स्व.निग. / 2017 / 18 में पारित आदेश तारीखी

26–3–2018 (जिसके द्वारा प्र.क्र. 32/अ–19/2000–01 न्यायालय तहसीलदार टोंकखुर्द जिला देवास आदेश पारित दिनांक 16–7–2001 को स्वमेव निगरानी में लिया,) से दुखी एवं असंतुष्ट होकर निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3466/2018/देवास/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
19-6-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर, जिला देवास के आदेश दिनांक 26-3-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश में अनियमितता पाये जाने पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का आदेश स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है एवं प्रकरण में विधिवत जांच कर, अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन लिया गया है । कलेक्टर द्वारा आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा भूमि बंटन की कार्यवाही करते समय शासन के परिपत्र अनुसार ग्राम में 2 प्रतिशत चरनोई भूमि का रकबा नहीं रखा गया है । तहसीलदार द्वारा ग्राम सभा के ठहराव/प्रस्ताव को नजर अंदाज कर मनमाने तरीके से भूमि बंटन की कार्यवाही की गई है । अत: कलेक्टर द्वारा तहसीलदार ने जिन 5 भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की की थी, उनको छोड़कर, शेष व्यक्तियों के पक्ष में जारी पट्टे निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए कलेक्टर का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	